[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

No.F.9-9/2020-U3(A)
Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 18th June, 2021

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was received on 18.08.2020 for grant of Deemed to be University status (under De-novo category) to Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road, New Delhi under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Institute had proposed to start the following six schools under de-novo category:-

(i) School of Yoga Education and Human Excellence
(ii) School of Yoga and Spirituality
(iii) School of Yoga and integrative Therapies
(iv) School of Yoga and Life Sciences
(v) School of Yoga and Management
(vi) School of Yoga and Humanities

3. **And whereas**, the application was forwarded to University Grants Commission (UGC) for examination and advice in accordance with provisions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019. UGC constituted an Expert Committee to assess the de-novo aspects of the application.

4. **And whereas**, taking into consideration the advice of UGC, the Ministry issued Letter of Intent (LoI) on 27.04.2021 for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

i. The Institute shall prepare detailed syllabi for the courses to be offered in the above School;
ii. The Institution shall recruit adequate faculty with the requisite qualifications;
iii. The Institution shall create necessary infrastructure for the proposed Schools;
iv. The Institution shall obtain letter from the affiliating university for disaffiliation of Courses after obtaining the status of Deemed to be University.

5. **And further whereas**, the Institution submitted compliance report to the Government of India which was forwarded to UGC on 11.6.2021 for verification and advice. In order to verify the conditions of LoI, the compliance report of the Institution was placed before the Expert Committee of UGC on 14.6.2021 The Chairman, UGC approved the following recommendation of the Committee:

"The Committee perused the compliance report submitted by the Institute and considered the presentation made by the Director of the Institute. After due deliberation,

the Committee is satisfied with the compliance report and is of view that the conditions of the Letter of Intent (LoI) have been fulfilled. The Committee recommends granting Deemed to be University status to Moraraji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashoka Road, New Delhi under De-Novo Category."

6. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby declares Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road, New Delhi as an Institution Deemed to be University under de-novo category for a provisional period of five years subject to conditions that Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road, New Delhi will submit compliance report for recruitment of the adequate number of faculties as per the norms of UGC and letter from affiliating University i.e. Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, Delhi for disaffiliation of its courses.

7. This declaration is further subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms / Rules / Regulations / Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

18/6/2021

(Kamini Chauhan Ratan)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23382433

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to: -

1. The Secretary, UGC, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
2. Dr. I V Basavaraddi, Director, Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road (New Delhi).
3. The Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi.
4. The Secretary, Central Council of Indian Medicine (CCIM), Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avam Homoeopathy Anusandhan Bhawan, 61-65, Institutional Area, Janakpuri "D" Block, New Delhi-110058.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
6. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
7. The Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
8. Guard file / Notification file.

Bherav Dutt

(Bherav Dutt) 18/6/2021
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 23385915

(भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-9/2020-यू3(ए)
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 18 जून, 2021

<u>अधिसूचना</u>

जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. **और जबकि,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली को समवत विश्वविद्यालय का दर्जा (डी-नोवो श्रेणी के तहत) प्रदान करने के लिए दिनांक 18.08.2020 को एक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था। संस्थान ने निम्नलिखित छह स्कूलों को डी-नोवो श्रेणी के तहत शुरू करने का प्रस्ताव दिया था:-

I. योग शिक्षा और मानव उत्कृष्टता स्कूल
II. योग और अध्यात्म स्कूल
III. योग और एकीकृत चिकित्सा स्कूल
IV. योग और ज़ीवन विज्ञान स्कूल
V. योग और प्रबंधन स्कूल
VI. योग और मानविकी स्कूल

3. **और जबकि,** आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को यूजीसी (विश्वविद्यालय सम संस्थान)विनियम, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण और सलाह के लिए अग्रेषित किया गया था। यूज़ीसी ने आवेदन के डी-नोवो पहलुओं का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

4. **और जबकि,** यूज़ीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 27.04.2021 को तीन साल की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

I. संस्थान उपरोक्त स्कूल में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा;

II. संस्थान अपेक्षित योग्यताओं के साथ पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करेगा;

III. संस्थान प्रस्तावित स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा;

IV. संस्थान समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के बाद संबद्ध विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की असंबद्धता के लिए पत्र प्राप्त करेगा।

5. **और इसके अलावा जबकि**, संस्थान ने भारत सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया था। आशय-पत्र (एलओआई) की शर्तों को सत्यापित करने के लिए संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी की विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया था। अध्यक्ष, यूजीसी ने समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को मंजूरी दी:

"समिति ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया और संस्थान के निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति पर विचार किया। उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट है और समितिका मानना है कि आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों को पूरा किया गया है। समिति डी-नोवो श्रेणी के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली को समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश करती है।"

6. **अतः अब,** केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएयूजीसी की सलाह पर, एतद्द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली को इन शर्तों के अध्यधीन डी-नोवो श्रेणी के तहतपांच साल की अनंतिम अवधि के लिए समवत विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करती है कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली यूजीसी के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में संकायों की भर्ती के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, दिल्ली से इसके पाठ्यक्रमों की संबद्धता के लिए पत्र प्रस्तुत करेगा।

7. यह घोषणा यूजीसी (विश्वविद्यालय सम संस्थान)विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संगत मानदंडों / नियमों / विनियमों / निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

18/6/2021

(कामिनी चौहान रतन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23382433

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

सं.एफ. 9-9/2020-यू3(ए)

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. सचिव, यूजीसी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. डॉ. आई वी बसवरेड्डी, निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड (नई दिल्ली)।
3. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सचिव, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम), जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी "डी" ब्लॉक, नई दिल्ली-110058
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग,नई दिल्ली- 110002
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली इस अनुरोध के साथ कि सीएमआईएस इकाई को इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शितकरने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
8. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

18/6/2021

(भैरव दत्त)

उप सचिव, भारत सरकार